न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर रामगढ़ (अलवर)
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट बहाला)

पीठासीन अधिकारी :– *श्री बाल कृष्ण तिवाडी आर. ए. एस.*

अपील सं0	तारीख रजू	तारीख निर्णय
5/16	04.05.2012	11.05.2018

उनवान

1. दीदार सिंह पुत्र श्री सुच्चासिंह जाति रायसिक्ख निवासी ग्राम सांखला पो0 बहाला तह0 रामगढ जिला अलवर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. महेन्द्रसिंह पुत्र श्री स्व0 अतरसिंह जाति रायसिख
2. जोगेन्द्र सिंह पुत्र श्री स्व0 अतरसिंह जाति रायसिख
3. गुरदीप सिंह पुत्र श्री स्व0 अतर सिंह जाति रायसिख
4. करनैलसिंह पुत्र श्री स्व0 अतरसिंह जाति रायसिख
5. गुरदेवसिंह पुत्र श्री स्व0 अतरसिंह जाति रायसिख निवासी सांखला तह0 रामगढ।

.....असल रेस्पोडेन्टस्

6. सुच्चा सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह निवासी सांखला तह0 रामगढ जिला अलवर।

..... तरतीबी रेस्पाडेण्ट

(अपील अर्न्तगत धारा 75 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम, विरूद्ध आज्ञा ग्राम पंचायत बहाला दिनांक 28.07.1997, ई0 नं0 105)

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत बहाला का आदेश कोन्ट्रेरी टू लॉ एवं प्रोसीजर के विपरीत पारित किये जाने के कारण मन्सुख किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत बहाला आक्षेपित आदेश पारित करते समय अपना ज्युडिशियल माइन्ड कतई एप्लाई नही किया जिस कारण से अधिनस्थ न्यायालय का आदेश मन्सुख किये जाने योग्य है। अपीलान्ट की माता कन्तो कौर का स्वर्गवास जब अपीलान्ट कम उम्र/ छोटा था उसी समय हो गया था तथा अपीलान्ट व उसके माता व पिता कान्तो कौर के जीवित समय में ही अपीलान्ट के नाना श्री अतरसिंह के पास ही रहने लग गये थे तथा अपीलानट की माता के स्वर्गवास के पश्चात अपीलान्ट का लालन पालन

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

भी अपीलान्ट के नाना द्वारा ही किया गया था। अपीलान्ट ग्राम सांखला तह0 रामगढ में अपनी माता के जीवित रहने के समय से ही निवास कर रहा है। अपीलान्ट के नाना अतरसिंह ने अपनी आराजीयात का बंटवारा अपने जीवन काल में ही कर दिया गया जिसमें से मेरे नाना द्वारा मेरी माता का हिस्सा मिन अपीलान्ट को दिया गया था जिस पर मिन अपीलान्ट नाना द्वारा किये गये बंटवारे के समय से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है क्योकि अपीलान्ट की माता का स्वर्गवास नाना की मृत्यु से काफी वर्ष पूर्व हो चुका था। ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय अपीलान्ट को नही सुना गया और उक्त आदेश अपीलान्ट के पीठ पीछे से पारित किया गया है जो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ पारित किये जाने से मन्सुख किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा अपना आक्षेपित आदेश पारित करते समय अतरसिह ने विधिक वारिसान की जांच विधिक तरीके से गांव के मौजीज व्यक्तियों तथा मृतक के पुत्र पुत्रियों की साक्ष्य लेकर तथा वहां के प्रबुद्ध नागरिक से पूछताछ की जाकर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा नही किया गया जिस कारण से भी उक्त आज्ञा मन्सुख किया जाने योग्य है। ग्राम पंचायत द्वारा अपना आक्षेपित आदेश पारित करते समय हिन्दु विधि में प्रचलित उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की पालना नही की तथा मनमाने तरीके से उक्त आज्ञा पारित कर दी जबकि मृतक अतर पुत्र वरयाम सिंह की अपीलान्ट की माता कान्तोकौर जायन्दा व वैध विधिक वारिसान थी जिसकी मृत्यु के पश्चात मिन अपीलान्ट अपनी माता का जायन्दा पुत्र होने के कारण उनकी जगह मृतक की विरासत इन्तकाल अपीलान्ट के पक्ष में भी तस्दीक किया जाना चाहिए था। ग्राम पंचायत द्वारा अपना आपेक्षित आदेश पारित करते समय भू–राजस्व अधिनियम व भू–राजस्व नियम के प्रावधानों का कतई पालन नही किया बल्कि उक्त आदेश मनमाने एवं गलत व बेजा रूप से पारित किया गया जिस कारण से भी उक्त आज्ञा मन्सुख किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल सं0 105 दिनांक 28.07.1997 विरासत अतर सिंह पुत्र वरयामसिंह रायसिख वाके ग्राम सांखला तहसील रामगढ जिला अलवर निरस्त फरमाया जाकर

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

अपीलान्ट के पक्ष में हिन्दु उत्तराधिकार के तहत इन्तकाल तस्दीक फरमाई जाने की आज्ञा सादिर प्रदान की जावें।

अपील अपीलान्टस दज रजिस्टर्ड की जाकर रेस्पा0 को जर्ये नोटिस तलब किया गया। रेस्पा0 की ओर से तामिल बावजूद न्यायालय में उपस्थित नही हुए। रेस्पा0 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बहाला दिनांक 11.05.2018 को पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का राजस्व लोक अदालत शिविर/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बहाला में दिनांक 11.05.2018 को अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि अपीलान्ट के नाना अतरसिंह ने अपनी आराजीयात का बंटवारा अपने जीवन काल में ही कर दिया गया जिसमें से मेरे नाना द्वारा मेरी माता का हिस्सा अपीलान्ट को दिया गया था जिस पर अपीलान्ट नाना द्वारा किये गये बंटवारे के समय से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। ग्राम पंचायत द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करते समय अपीलान्ट को नही सुना गया और उक्त आदेश अपीलान्ट के पीछे से पारित किया गया है जो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो के खिलाफ पारित किया। ग्राम पंचायत द्वारा अपना आक्षेपित आदेश पारित करते समय अतरसिह ने विधिक वारिसान की जांच विधिक तरीके से गांव के मौजीज व्यक्तियों तथा मृतक के पुत्र पुत्रियों की साक्ष्य लेकर तथा वहां के प्रबुद्ध नागरिक से पूछताछ की जाकर आदेश पारित किया जाना चाहिए था। किन्तु ऐसा नही किया गया ग्राम पंचायत द्वारा अपना आक्षेपित आदेश पारित करते समय हिन्दु विधि में प्रचलित उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों की पालना नही की तथा मनमाने तरीके से उक्त आज्ञा पारित कर दी जबकि मृतक अतर पुत्र वरयाम सिंह की अपीलान्ट की माता कान्तोकौर जायन्दा व वैध विधिक वारिसान थी जिसकी मृत्यु के पश्चात अपीलान्ट अपनी माता का जायन्दा पुत्र होने के कारण उनकी जगह मृतक की विरासत इन्तकाल अपीलान्ट के पक्ष में भी तस्दीक किया जाना चाहिए था। ग्राम पंचायत द्वारा अपना आपेक्षित आदेश पारित करते समय भू–राजस्व अधिनियम व भू–राजस्व नियम के प्रावधानों का कतई पालन नही किया बल्कि उक्त आदेश मनमाने एवं गलत व बेजा

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

रूप से पारित किया गया। अतः इन्तकाल सं0 105 दिनांक 28.07.1997 विरासत अतर सिंह पुत्र वरयामसिंह रायसिख वाके ग्राम सांखला तहसील रामगढ जिला अलवर निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः अपील अपीलान्ट लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बहाला में दिनांक 11.05.2018 को स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 105 दिनांक 28.07.1997 सरपंच ग्राम पंचायत बहाला पंचायत समिति, रामगढ जिला अलवर निरस्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार रामगढ को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनकर वारिसान की सही जांच करते हुए नये सिरे से इन्तकाल दर्ज करने की कार्यवाही करे। निर्णय प्रति तहसीलदार रामगढ़ को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 11.05.2018 को लोक अदालत ग्राम पंचायत बहाला मजमेआम में सुनाया गया।

(बाल कृष्ण तिवाडी)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)